संख्या–732/पांच–8–2020–म(22)/2018टी0सी0

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–8 लखनऊः दिनांक : 20 फरवरी, 2020

विषयः उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित चिकित्सकों की तैनाती हेतु निर्धारित गाइड लाइन्स में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3898/पांच–8–2019– म (22)/2018टी0सी0, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 का सन्दर्भ गहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित चिकित्सकों की प्रथम तैनाती के संबंध में नीति–निर्धारित करते हुए दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में उक्त शासनानदेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के प्रस्तर–2(3) को संशोधित करते हुए निम्नवत प्रस्थिापित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

प्रतिस्थपित प्रस्तर–2(3) :

"एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी0एच0सी0) एवं महत्वकांक्षी जनपदों तथा उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी0एच0सी0) में तैनात किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को केवल सी0एच0सी0 में तैनात किया जायेगा, विशेषकर वहां पर जहां उनके अनुपूरक कौशल के चिकित्सक उपलब्ध हों।"

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 31.12.2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष सभी प्रावधान/दिशा–निर्देश यथावत् लागू रहेंगें।

भवदीय,

20.2.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (प्रशासन)/अपर निदेशक (कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश
4. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
उप सचिव